BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 406 OF 2025

IN THE MATTER OF:

SUYASH MISHRA ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response on Behalf of the Respondent no.-4, Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 28.11.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi	1-5
2.	**ANNEXURE-R4/1** A true copy of the inspection report dated 17.12.2025	6
3.	**ANNEXURE-R4/2** A true copy of the letter no.-969/F-138/O.A. No.-406/2025/2025 dated 13.12.2025	7-8
4.	**ANNEXURE-R4/3** A true copy of analysis report dated 09.01.2026	9-10
5.	**ANNEXURE-R4/4** A true copy of inspection report dated 27.01.2026	11-12
6.	**ANNEXURE-R4/5** A true copy of analysis report	13
7.	**ANNEXURE-R4/6** A true copy of the approval dated 06.07.2015	14
8.	**ANNEXURE-R4/7** A true copy of the letter dated 29.01.2026	15-19
9.	**ANNEXURE-R4/8** A true copy of the receipt dated 19.01.2026	20-21

10.	**ANNEXURE-R4/9** A true copy of the order dated 08.01.2018 passed by the Sub District Magistrate, Akbarpur, Ambedkar Nagar	22-27
11.	**ANNEXURE-R4/10** A true copy of the letter dated 13.02.2026	28

THROUGH

DATE: 19.02.2026
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP17455606432322Y

Certificate No.	:	IN-UP17455606432322Y
Certificate Issued Date	:	19-Feb-2026 11:24 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14522104/ AYODHAYA SADAR/ UP-FZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1452210430622854863277Y
Purchased by	:	RAGHUVIR SINGH SO NANIG RAM
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	.
First Party	:	RAGHUVIR SINGH SO NANIG RAM
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	RAGHUVIR SINGH SO NANIG RAM
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	50 (Fifty only)

CANCELLED

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY STAMP AFFIXED RS. 10

NOTARY FURDAUS Advocate FAIZABAD Regd. 54(16) 2001 GOVT OF U.P. INDIA

Please write or type below this line

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 406 OF 2025

IN THE MATTER OF:

SUYASH MISHRA **...APPLICANT**

VERSUS

STATEOF UTTAR PRADESH& ORS. **...RESPONDENT(S)**

RESPONSEON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-4, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 28.11.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, R.V. Singh aged about 59 Year S/o Late Shri N. Ram presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter "UPPCB), Ayodhya, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That the Applicant has filed the present Original Application wherein following prayer is made:

   a. Direct an independent inspection and demarcation of the area to assess illegal construction within the prohibited zone of Tamsa River.

   b. Order immediate removal of illegal construction, encroachments and generator installations by Swapnil Hotel in violation of the Tribunal's order and environmental laws.

   c. Direct disciplinary and penal action against the hotel owner and concerned officials for permitting of falling to prevent such construction.

   d. Order restoration of the double road to its original public use and free it from all obstructions.

   e. Impose environmental compensation on the violators under the Polluter.

   f. Grant any other or further relief which this Hon'ble Tribunal may deem just and proper in the interests of environmental justice.

NOTARY FURDOL Advocate FAIZABAD Regd. No 54(16) 2001 GOVT OF U.P. INDIA

4. That the present matter was taken up on 28.11.2025, when this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter Hon'ble Tribunal), upon considering the matter, was pleased to direct the answering respondent to file its reply by issuing the notice.

5. That in compliance to the order passed by thisHon'ble Tribunal, the officials of the UPPCB have undertaken the site visit and carried out the inspection on 17.12.2025 in presence of the representative of the Hotel in question Shri Manoj Kumar, Manager.

A true copy of the inspection report dated 17.12.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure R4/1**.

6. That in pursuance to the deficiencies found during the course of an inspection dated 17.12.2025, the UPPCB has sent a letter to the Hotel in question, through registered post, vide its letter no.-969/F-138/O.A. No.-406/2025/2025 dated 13.12.2025 to rectify the discrepancies found during inspection.

A true copy of the letter no.-969/F-138/O.A. No.-406/2025/2025 dated 13.12.2025 is being annexed herewith and marked as **Annexure R4/2**.

NOTARY FURDUL Advocate FAIZABAD Regd. No. 54(16) 2001 GOVT OF U.P. INDIA

7. That during the course of inspection dated 17.12.2025 the officials of the UPPCB had collected the sample of domestic effluent and submitted the same to the Central Laboratory of UPPCB for analysis.

A true copy of analysis report dated 09.01.2026 is being annexed herewith and marked as **Annexure R4/3**.

8. That it is necessary to mention here that the Hotel in question has applied online application for consent underWater (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended, on Nivesh Mitra Portal on 29.12.2025.In continuation to the said online application the inspection of the Hotel in question has been conducted by the officials of the UPPCB on 27.01.2026

A true copy of inspection report dated 27.01.2026 is being annexed herewith and marked as **Annexure R4/4**.

9. That as per the inspection report the Hotel unit has a Sewage Treatment Plant having capacity of 10 kilolitre/day wherein Bar Screen Chamber, Equalization Tank, Settling Tank, NVBR Reactor, Steam Settler Filter, Crowd Tank, Pressure Sieve Filter, Activated Carbon Filter, Treated Water Tank and Sludge Drawing was found established. During the course ofthe inspection dated 27.01.2026 the officials of the UPPCB had collected the sample of domestic effluent and submitted the same to the Ayodhya Laboratory of UPPCB for analysis. Aas per the analysis reports the sample found to be in accordance with the prescribed norms of the UPPCB. A true copy of analysis report is being annexed herewith and marked as **Annexure R4/5**.

10. That during inspection it is found that the building map of the Hotel in question has been approved by the Nagar Palika Parishad, Akbarpur, Ambedkar Nagar on 06.07.2015.
A true copy of the approval dated 06.07.2015 is being annexed herewith and marked as **Annexure R4/6**.

NOTARY
FURDUL
Advocate
FAIZABAD
Regd No
54(16) 2001
GOVT OF U.P. INDIA

11. That in continuation to the inspection dated 29.01.2026, a consent under Water Act and Air Act has been issued by the UPPCB in favour of the said Hotel in question vide its letter dated 29.01.2026.
A true copy of the letter dated 29.01.2026 is being annexed herewith and marked as **Annexure R4/7**.

12. That further the Hotel in question has sent a photocopy of its license no.-1840 dated 19.01.2026 obtained from the Nagar Palika Parishad, Akbarpur, Ambedkar Nagar in relation to the house tax amounting Rs. 1,365/- deposited for the disposal of solid waste generated from the restaurant of the Hotel unit through the Nagar Palika Parishad, Akbarpur, Ambedkar Nagar.
A true copy of the receipt dated 19.01.2026 is being annexed herewith and marked as **Annexure R4/8**.

13. That it is also worthwhile to mention here that in Case No.-T40/2002, State Versus Vinod Kumar Mishra, filed under Section 133 Cr.P.C. the Sub District Magistrate, Akbarpur, Ambedkar Nagar vide its order dated 08.01.2018 has held that currently Gata No.-306/2 is adjacent to the river and on the said Gata Sri Vinod Mishra has constructed a house which is located approximately 80 ft. from the river and the construction of house does not obstruct the flow of the river.

A true copy of the order dated 08.01.2018 passed by the Sub District Magistrate, Akbarpur, Ambedkar Nagar is being annexed herewith and marked as **Annexure R4/9**.

14. That as per letter dated 13.02.2026 sent to the Hotel Swapnil, it was informed by the Irrigation Department that as per the records of the Minor Irrigation Department the said land does not lie in the flood prone zone and is classified under the "safety zone".

A true copy of the letter dated 13.02.2026 is being annexed herewith and marked as **Annexure R4/10**.

15. That the present affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Ayodhya on this the 19th day of February, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

THE DEPONENT ... IDENTIFIED BY SRI ... HENCE VERIFIED BEFORE ME

19/2/26

DEPONENT

ANNEXURE NO-R4/1

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या– 406/2025 (आई0ए0– 534/2025) सुयश मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.11.2025 के अनुपालन में होटल मेसर्स होटल स्वाप्निल (अक्षांश– 26.426325 एवं देशान्तर– 82.533032), निकट– माँ गायत्री मन्दिर मार्ग, तहसील– अकबरपुर, अम्बेडकर नगर की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त वर्णित मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या– 406/2025 (आई0ए0– 534/2025) सुयश मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.11.2025 के अनुपालन में होटल इकाई मेसर्स होटल स्वाप्निल (अक्षांश– 26.426325 एवं देशान्तर– 82.533032), निकट– माँ गायत्री मन्दिर मार्ग, तहसील– अकबरपुर, अम्बेडकर नगर का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 17.12.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री मनोज कुमार (मैनेजर) उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

1. उक्त इकाई मेसर्स होटल स्वाप्निल, निकट– माँ गायत्री मन्दिर मार्ग, तहसील– अकबरपुर, अम्बेडकर नगर वर्ष 2003 से स्थापित/संचालित है।
2. उक्त होटल इकाई में 43 कमरें, 01 रेस्टोरेन्ट तथा 01 किचन स्थापित है।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र संख्या– CP-18/1/2023-IPC-VI-HO-CPCB-HO दिनांक 12.02.2025 के द्वारा जारी Classification of Sectors into Red, Orange, Green, White and Blue Categories के अनुसार आपकी होटल इकाई नांरगी श्रेणी में आच्छादित है।
4. उक्त होटल इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ जैसे– किचन, फ्लोर वाशिंग, आदि में किया जाता है। घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित घरेलू उत्प्रवाह को विना किसी शुद्धिकृत के कच्ची नाली के द्वारा तमसा नदी में निस्तारित किया जाता है। होटल इकाई द्वारा घरेलू उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये जाने हेतु सीवेज शुद्धिकरण सयंत्र की स्थापना नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय होटल इकाई से निस्तारित किये जा रहे घरेलू उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर केन्द्रीय प्रयोगशाला, लखनऊ में जमा करा दिया गया है। विश्लेषण आख्या अपेक्षित है।
5. तमसा नदी होटल इकाई से लगभग– 60 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है।
6. उक्त होटल इकाई में विद्युत बाधित होने की स्थिति में 25 के0वी0ए0 क्षमता का कैनोपी युक्त 01 डी0जी0 सेट स्थापित हैं। उक्त डी०जी० सेट हेतु ईधन के रूप में डीजल का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाता हैं, तथा डी0जी0 सेट से सम्वद्ध एक्जास्ट/चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी है।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त होटल इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से विना स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये संचालित किया जा रहा है।
8. निरीक्षण के समय होटल इकाई प्रतिनिधि द्वारा होटल से जनित सॉलिड वेस्ट/प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण नगर पालिका परिषद् अकबरपुर, जनपद– अम्बेडकर नगर के माध्यम से किये जाने हेतु कोई साक्ष्य /सरकारी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्णित कमियों के सम्बन्ध में होटल इकाई को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किये जाने की निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

23/12/25
(विनोद कुमार)
प्रयोगशाला सहायक

23/12/25
(ओम प्रकाश)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

23/12/2025

ANNEXURE No.- RA/2

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

Email Id - roayodhya@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

संदर्भ संख्या : 969/F-138/OA No-406/2025/2025
Ref. No. :

दिनांक : 23.12.2025
Dated :

<u>पंजीकृत/ई–मेल</u>
<u>अतिमहत्वपूर्ण/मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण</u>

सेवा में,
मेसर्स होटल स्वापनिल,
निकट– माँ गायत्री मन्दिर मार्ग,
तहसील– अकबरपुर,
अम्बेडकर नगर, पिन कोड – 224122
मो0नं0– 9838624330, 9838374571
Email- vinodmishra.akb@gmail.com

विषय– <u>मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या– 406/2025 (आई0ए0– 534/2025) सुयश मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या– 406/2025 (आई0ए0– 534/2025) सुयश मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.11.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या– 406/2025 (आई0ए0– 534/2025) सुयश मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.11.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है–

"....... 1. In this Original Application (OA), the Applicant has raised a grievance about the unauthorized construction being raised by the Respondent No. 5 (Swapnil Hotel) within 100 meters of Tamsa river at Ambedkar Nagar, UP. Counsel for the Applicant submits that in the matter of M.C. Mehta. v. UOI, OA No. 200/2014 by order dated 10.12.2015 in respect of river Ganga in Uttarakhand the Tribunal as an interim measure had restrained the construction within 100 meters from the middle of the river treating it to be eco system and prohibited zone. The Tribunal in Ganga matter for UP (from Haridwar down to Unnao) in the order dated 13.07.2017 has restrained any activity within 100 m. from the edge of the river. He submits that the illegal construction within 100 meters from the middle of the river is in progress. In support of such a submission he has placed reliance upon the photographs filed on page 17 and 232 onwards. He submits that though information was sought under the RTI, Act from the concerned Authority but no response has been received.

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2025 के अनुपालन में आपकी होटल इकाई का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.12.2025 को किया गया। प्राप्त निरीक्षण आख्यानुसार आपके होटल इकाई से सम्बन्धित निम्नलिखित कमियां पायी गयी है–

1. उक्त होटल इकाई में घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित घरेलू उत्प्रवाह को बिना किसी शुद्धिकृत के कच्ची नाली के द्वारा तमसा नदी में निस्तारित किया जाता है। होटल इकाई द्वारा घरेलू उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये जाने हेतु सीवेज शुद्धिकरण सयंत्र की स्थापना नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय होटल इकाई से निस्तारित किये जा रहे घरेलू उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर केन्द्रीय प्रयोगशाला, लखनऊ में जमा करा दिया गया है। विश्लेषण आख्या अपेक्षित है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त होटल इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से विना स्थापनार्थ. सहमति प्राप्त किये स्थापित तथा विना संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये संचालित किया जा रहा है।
3. निरीक्षण के समय होटल इकाई प्रतिनिधि द्वारा होटल से जनित सॉलिड वेस्ट/प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण नगर पालिका परिषद् अकवरपुर, जनपद– अम्बेडकर नगर के माध्यम से किये जाने हेतु कोई साक्ष्य /सरकारी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपने होटल इकाई से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सीवेज शुद्धिकरण सयंत्र की स्थापना सम्बन्धी कार्यवाही से अवगत कराया जाये तथा जब तक सीवेज शुद्धिकरण सयंत्र स्थापित/संचालित न हो तब तक अपने होटल इकाई से घरेलू उत्प्रवाह को तमसा नदी में निस्तारित न किया

PTO

—2—

जाये तथा होटल इकाई से जनित सॉलिड वेस्ट /प्लास्टिक वेस्ट का उचित प्रकार से निस्तारण किया जाये। अग्रेतर निर्देशित किया जाता है कि अपने होटल इकाई के संचालनार्थ हेतु निवेश मित्र व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन के वेबसाइट www.niveshmitra.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन सहमति (जल/वायु) आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त जारी निर्देशों की अनुपालन आख्या साक्ष्यों सहित पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आपके होटल इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक/बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के सक्षम अधिकारी को कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होटल इकाई एवं होटल इकाई के उत्तरदायी का होगा।

भवदीय

(आर0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि—मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Received by
Danish25
9838624330

ANNEXURE NO.- R4/3

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 34929665/Faizabad/2026 **Date:09/01/2026**

1- **Name of Industry:** M/s Hotel swapnil near tehsil, Maa Gayatri marg
2- **Address of Industry:** Maa Gayatri marg
3- **District:** Ambedkar nagar
4- **Description about sampling point:** Final outlet of Hotel Discharge
5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
6- **Sample Collected By:** VINOD KUMAR LA & Om Prakash Singh AEE
7- **Colour and Odour:** - -
8- **Quantity and Packing:** 2 Ltrs
9- **Date of Sample Collection:** 17/12/2025
10- **Analyis Indented by:** RO Faizabad
11- **Date of sample receipt in Lab:** 18/12/2025
12- **Period of Analysis:** 07 days
13- **ULR Number:** -
14- **Sampling Plan/Ref. No.:** UPPCB/CL/PR/7.4.3/1B
15- **Sampling Method Ref.:** APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples

S. N.	Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.50	-	02-12
2	Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	65.0	-	10-20000 mg/l
3	BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	22.7	-	1.0 -50000 mg/l
4	COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	176.0	-	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules.1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Jyoti Tiwari (SA)]

Authorized by
Arti Gupta Digitally signed by Arti Gupta Date: 2026.01.09 11:33:38 +05'30'
Arti Gupta (ASO)

IMRAN AHMAD KHAN Digitally signed by IMRAN AHMAD KHAN Date: 2026.01.09 ...:26 +05'30'
Central Laboratory

UPPCB/CL/PR/7.8.1/1b	Issue No.: 01	Issue Date:01.10.2024	Page No.:Page 1 of 2
Amendment No.:01	Amendment Date.:01.10.2024	Approved by: TM	Issued by: QM

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 34929665/Faizabad/2026 **Date:09/01/2026**

1- **Name of Industry:** M/s Hotel swapnil near tehsil, Maa Gayatri marg
2- **Address of Industry:** Maa Gayatri marg
3- **District:** Ambedkar nagar
4- **Description about sampling point:** Final outlet of Hotel Discharge
5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
6- **Sample Collected By:** VINOD KUMAR LA & Om Prakash Singh AEE
7- **Colour and Odour:** - -
8- **Quantity and Packing:** 2 Ltrs
9- **Date of Sample Collection:** 17/12/2025
10- **Analyis Indented by:** RO Faizabad
11- **Date of sample receipt in Lab:** 18/12/2025
12- **Period of Analysis:** 07 days
13- **ULR Number:** -
14- **Sampling Plan/Ref. No.:** UPPCB/CL/PR/7.4.3/1B
15- **Sampling Method Ref.:** APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples

S. N.	Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Jyoti Tiwari (SA)]

Authorized by

Arti Gupta (ASO)

Incharge
Central Laboratory

ANNEXURE-No-R-7/11

मेसर्स होटल स्वप्निल, निकट–पुराना तहसील–तिराहा, अकबरपुर, जनपद– अम्बेडकर नगर की संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) विषयक निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त वर्णित इकाई द्वारा संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र निवेश मित्र पोर्टल पर दिनांक 29.12.2025 को अपलोड किया गया। आपके आदेशानुसार उक्त इकाई का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 27.01.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री विनोद चन्द मिश्रा (प्रतिनिधि) उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

1. उक्त मेसर्स होटल स्वप्निल, निकट–पुराना तहसील–तिराहा, अकबरपुर, जनपद– अम्बेडकर नगर में वर्ष 2003 से स्थापित/संचालित है। होटल की स्थापना के संबंध में होटल द्वारा यू०पी० वैट का रजिस्टेशन सर्टिफिकेट आवेदन पत्र के साथ प्रेषित किया हैं।
2. उक्त होटल में 26 कमरे, 01 बैन्चवेट हॉल एवं 01 रेस्टोरेन्ट स्थापित है।
3. उक्त होटल के बिल्डिंग मैप को कार्यालय नगर पालिका परिषद् अकबरपुर अम्बेडकर नगर द्वारा 06.07.2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। जिसकी प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं।
4. उक्त होटल का कुल प्लाट क्षेत्रफल 140 वर्गमीटर है, जिसका कुल कवर्ड एरिया 326.76 वर्गमीटर हैं। (ग्राउण्ड तल क्षेत्र 108.92 वर्गमीटर, प्रथम तल कवर्ड एरिया 108.92 वर्गमीटर, द्वितीय तल कवर्ड एरिया 108.92 वर्गमीटर हैं)
5. उक्त होटल द्वारा एस०टी०पी० की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, खतौनी, उद्यम रजिस्टेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की प्रति, पैन कार्ड की प्रति, बिल्डिंग मैप आदि आवेदन के साथ अपलोड हैं।
6. उक्त होटल में 10 किली०/दिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट स्थापित है। जिसके प्रमुख इकाईयां बार स्क्रीन चैम्बर, एक्वालेशन टैंक, ऐरियेशन टैंक, एम०बी०बी०आर० रियक्टर, ट्यूब सेटलर, फिल्टर फीड टैंक, प्रेशर सैन्ड फिल्टर, सल्ज ड्राइंग बैड, एक्टीवेटेड कार्बन फिल्टर व ट्रीटेड वॉटर टैंक आदि है। होटल से जनित उत्प्रवाह का नमूना दिनांक 20.01.2026 को एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या की प्रयोगशाला में जमा कराया गया था। नमूना विश्लेषण के पश्चात् प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी।
7. उक्त होटल द्वारा निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन के माध्यम से रू 24000.00 जमा किया गया है, तथा ऑनलाइन के माध्यम से रू0 47000.00 (यू०टी०आर०नं०– 609395177882) रू0 37000.00 (यू०पी०आई०आई० संख्या– 602853574670) जमा किया गया है। जो वर्ष 2030 तक पूर्ण हैं।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त होटल को निम्न शर्तो के साथ सहमति जल/वायु दिनांक 31.07.2030 तक प्रदान किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

1. होटल द्वारा भूगर्भ जल दोहन हेतु एस०जी०डब्लू०ए० से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
2. होटल का संचालन इस प्रकार से सुनिश्चित करे, ताकि आस–पास के पर्यावरण, आबादी एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।
3. अग्नि सुरक्षा हेतु प्राधिकृत संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक माह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. होटल अपने परिसर में नियमानुसार हरितपट्टिका हेतु विकसित करेगा, जिसमें त्वरित गति से बढने वाले पौधों का रोपण किया जाये।
5. होटल द्वारा एस0टी0पी0 का नियमित एवं सुचारू रूप से संचालन किया जाये तथा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को किसी भी दशा भी में सरयू नदी में निस्तारित नहीं किया जायें।
6. उक्त होटल से जनित ठोस अपशिष्ट के निस्तारण एवं रख-रखाव हेतु नगर पालिका परिषद से संवद्धता सुनिश्चित किया जाये।
7. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. होटल में प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग की स्थापना आवश्यकता के अनुरूप करें।
11. उक्त सहमति मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0नं0-406/2025 में पारित आदेशों के अधीन होगी।

उक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(विनोद कुमार)
प्रयोगशाला सहायक

29/01/2026
(संजीव कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

29/01/2026

29/01/2026

ANNEXURE No-R4/5

Regional Laboratory

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

PLOT NO. 01 YASHODA BHAWAN, NEAR JINGLE BELL ACADEMY,
GADDOPUR,
AYODHYA

ANALYSIS REPORT OF INDUSTRIAL WASTE

1. Name of the Industry M/s : Hotel Swapnil, Old Tehsil Tiraha Akbarpur, Ambedkar Nagar.
2. Sample collected by : Sanjeev Kumar Mishra [SA]
3. Sampling point : Outlet of STP (10 KLD)
4. Sampling Date : 20.01.2026
5. Date of reciept in Lab : 20.01.2026
6. Sampling Method : Grab

S.N.	Parameters	Value
1-	Colour	Colourless
2-	Odour	Odourless
3-	pH	7.61
4-	Biochemical Oxygen Demand	20.0
5-	Chemical Oxygen Demand	96.0
6-	Total Suspended Solids	62.0
7-	Specific Parameters	
	(i)	
	(ii)	
	(iii)	

Note: All value are in mg/l Except pH

Analyzed by [J.R.F.] 28/01/26   [S. A.] 28/01/2026   [A.E.E.] 28/01/2026

(Regional Officer) 28/01/2026

ANNEXURE NO-R4/6

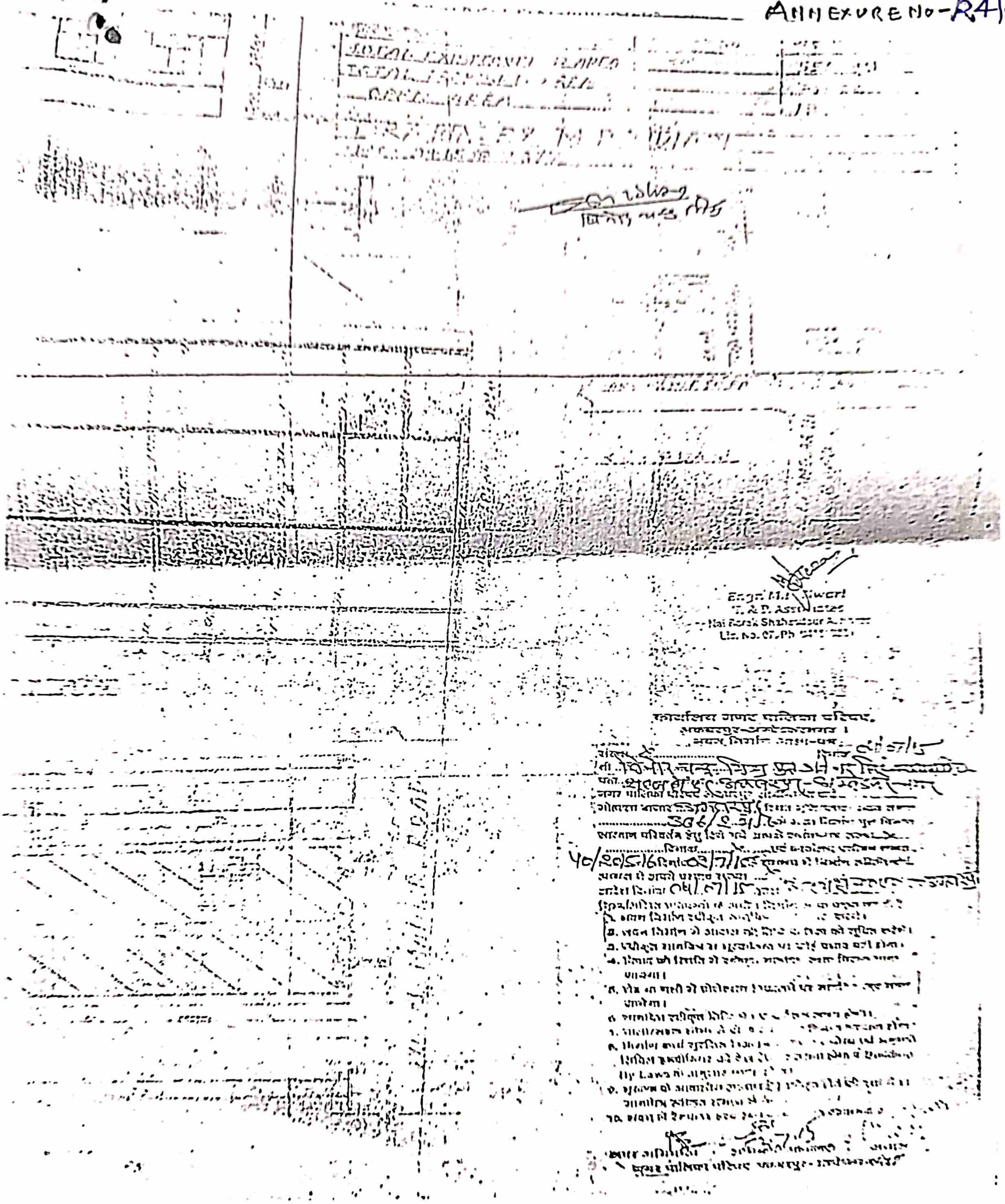

ANNEXURE NO.-R47

Uttar Pradesh Pollution Control Board
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

Category : ORANGE
258102/UPPCB/Faizabad(UPPCBRO)/CTO/both/AMBEDKAR NAGAR/2025

Application Id : 35044048
Date: 29/01/2026

To,
M/s
HOTEL SWAPNIL
OLD TEHSIL TIRAHA AKBARPUR,AMBEDKARNAGAR,AMBEDKAR NAGAR,224122

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **HOTEL SWAPNIL** located at **OLD TEHSIL TIRAHA AKBARPUR,AMBEDKARNAGAR,AMBEDKAR NAGAR,224122.** subject to the provisions of the Water Act, Air Act and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA HOTEL SWAPNIL **granted for the period from 31/12/2025 to 31/07/2030** and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	HOTEL ROOMS- 26 ROOMS	26	Numbers/Day
2	BANQUET HALL- 01	01	Numbers/Day
3	RESTUARANT- 01	01	Numbers/Day

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-
(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	STP- 10 KLD	STP	AS PER BOARD NORMS

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.
In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.
(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality.In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
1	pH	AS PER BOARD NORMS
2	BOD (mg/L)	AS PER BOARD NORMS
3	TSS (mg/L)	AS PER BOARD NORMS

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	DG SET-25 KVA x 2 Nos.	DIESEL	01	Particulate Matter	AS PER BOARD NORMS

Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1	01	Particulate Matter	AS PER BOARD NORMS

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.
7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.
8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

This Consent to Operate is granted to M/s HOTEL SWAPNIL, OLD TEHSIL TIRAHA AKBARPUR, DISTRICT- AMBEDKAR NAGAR for HOTEL ROOM- 26, BANQUET HALL- 01 and RESTUARANT-

01. The validity period of the CTO is 31.07.2030 with the following conditions.

1- This consent is valid for discharge of treated effluent through Oil & Grease Trap followed by ETP cum STP installed for the propose and always achieve norms prescribe by the Board.

2- Hotel installed Electro Magnetic Flow Meter on Burwell as well as inlet and outlet of ETP cum STP within Two months and shall also maintain the Logbook.

3- In case of usage of ground water, the Project Proponent must obtain NOC from CGWA within one month from the date of issue of CTE/CTO/CCA, unless falling in exempted category as per MoJS Guidelines date 24.09.2020 and amendments date 29.03.2023 thereto.

4- Hotel shall install roof top Rain Water Harvesting System within coming rainy system.

5- Hotel shall install separate energy meter to verify the electricity consumed in operation of STP of 10 KLD and maintain log books.

6- Hotel shall facilitate to dispose off the Municipal Solid waste throw By-Composed Of Adequate capacity as per MSW Rules, 2016 within 01 month, otherwise granted CTO may be revoked.

7- Hotel shall raise the stack height attached to DG Sets of 2 Nos. x 25 KVA as per norms prescribed by CPCB.

8- If any complaint received against the hotel, CTO shall be cancelled /revoked after verification of the complaint and legal proceeding shall be initiated.

9- In case of violation of above mentioned conditions or any public complaint, the CTO shall be revoked.

10- Hotel shall comply the directions/provisions issued by Hon'ble High Court, Hon'ble Supreme Court and Hon' ble NGT.

11- Hotel shall comply the Law framed by MoEF/CPCB/UPPCB in this regard.

12- Industry shall ensure to comply the provisions of following Acts and Rules notified under EP Act 1986 as amended till date (if applicable) such as;

A- Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

B- Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

C- Plastic Waste Management Rules 2016.

D- Battery Waste Management Rules 2016.

E- Hazardous and other waste Management Rules- 2016.

F- Municipal Solid Waste Rules 2016.

G- E-Waste Management Rules-2016.

H- Construction & Demolition Waste Rules 2016.

13- The Board have right to modify any conditions as & when require in compliance of any change in environmental guidelines and Hon'ble courts orders passed time to time.

14- The said consent will be subject to the orders passed in OA No. 406/2025 filed in Hon'ble NGT.

15- Unit shall submit tri-monthly compliance report of the conditions imposed in the CTO issued.

RAGHU VIR SINGH Digitally signed by RAGHUVIR SINGH Date: 2026.01.29 19:31:27 +05'30'

Regional Officer

Copy to:

C.E.O. (C-6) U.P. Pollution Control Board, TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow.

RAGHU VIR SINGH Digitally signed by RAGHUVIR SINGH Date: 2026.01.29 19:31:36 +05'30'

Regional Officer

मिशन LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली

(Lifestyle For Environment)

जनसहभागिता का सन्देश

LiFE Lifestyle for Environment

- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय ।
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेंकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेंकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका पृथक्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |

ANNEXURE NO- R4/8

नगर पालिका परिषद, अकबरपुर

जनपद–अम्बेडकरनगर

लाइसेन्स

क्रमांक 1840 दिनांक 19/01/26

फर्म का नाम ...होटल स्वप्निल...

फर्म का पता ...निकट गायत्री मन्दिर मार्ग अकबरपुर अम्बेडकर...

प्रोप्राइटर का नाम ...श्री विनोद चन्द्र मिश्रा...

प्रोप्राइटर का पता...उपरोक्त...

व्यापार का प्रकार...होटल स्वप्निल...

वैधता अवधि...01-04-25 से 31-03-26 तक 2500/-

शर्तें

1– सड़क, पटरी, गली एवं नाली/नाले पर अतिक्रमण नही करेंगें।
2– दुकान/संस्थान के सामने एवं आस–पास साफ–सफाई का विशेष ध्यान दिया जायेगा।
3– दुकान/संस्थान से निकलने वाला कूड़ा एवं कचरा रखने के लिये कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे।
4– प्रचार–प्रसार की स्थिति में अनुमति लेना आवश्यक होगा।
5– जिस कार्य के लिये लाइसेंस जारी किया गया है, उसी के लिए मान्य होगा।
6– धूम्रपान निषेध नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7– शर्तो का पालन न करने की स्थिति में लाइसेन्स स्वतः निरस्त माना जायेगा।

हस्ताक्षर लाइसेन्सी

हस्ताक्षर लाइसेन्स जारीकर्ता

RECEIPT No. 61

FORM No. 5
RECEIPT

BOOK No. 54

Municipality ______

Demand Register no. [illegible]

Received from [illegible]

Rupees (in words) [illegible]

on account of ______

premises no. [illegible] Mohalla [illegible]

For the period 01-04-25 से 31-03-26 तक

in full/part payment of demand bill no. ______

Rs. 165/-

Dated 19/1/26

Cashier

Accountant.

19/1/26

Executive Officer/Secretary

Tax Collector
Clerk-in-charge of Demand
and Collection Register

Tax Superintendent

Annexure-A/9

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर अम्बेडकरनगर।

सरकार बनाम विनोद कुमार मिश्रा।

वाद संख्या टी 461/2017
धारा 133 दं0प्र0सं0
ग्राम शाहजहाँपुर अकबरपुर
थाना अकबरपुर,अम्बेडकरनगर ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही तहसीलदार अकबरपुर द्वारा प्रेशित आख्या दिनांक 10.06.2012 के आधार पर आरम्भ हुई। तहसीलदार अकबरपुर द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि लेखपाल क्षेत्र शहजादपुर परगना व तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर में अकबरपुर से शाहजहॉपूर चलने पर पुल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर टोन्स नदी से 45 मीटर की दूरी पर 50 फिट लम्बा एंव 30 फिट चौडा श्री विनोद मिश्रा पुत्र नरसिंहनरायन मिश्रा द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। इस निर्माण के हो जाने पर नदी का प्रवाह अत्यन्त संकुचित दायरे मे आ जायेगा ,जिससे एक दिशा मे बाढ आ सकती है, जिससे लगभग 200 से लेकर 300 मीटर की लम्बाई मे उपजने वाले फसल तथा किनारे बसे गॉव व घर बाढ की सीमा मे आ सकते है,जिससे धनहानि जनहानि की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। तहसीलदार अकबरपुर की आख्या के आधार पर न्यायालय द्वारा सशर्त आदेश दिनांक 11.06.2012जारी किया गया था। विपक्षी सशर्त आदेश की प्रति प्राप्त होने के बावजूद न्यायालय उपस्थित नही आये। इस न्यायालय द्वारा दिनॉक 29.05.2014 को सशर्त आदेश दिनॉक 11.06.2012 अन्तिम किया जाता है आदेश पारित किया गया,जिसके विरूद्व विपक्षी बिनोद मिश्रा द्वारा छुब्ध होकर न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश अम्बेडकरनगर में वाद संस्थित की गयी तदउपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए निर्देशित किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आछेपित दिनॉकित 29.05.2014 अपास्त किया जाता हैं। अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय के आलोक मे निगरानी (द्वितीय पक्ष) को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नये सिरे से विधि अनुसार आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। सशर्त आदेश दिनांक 28.12.216 वापस लिया जाना उचित प्रतीत होता है ।

तत्पश्चात विपक्षी को नोटिस जारी किया गया विपक्षी हाजिर न्यायालय होकर दिनॉक 27.03.2017को अपना बयान इन्कारी दर्ज कराया दिनॉक 15.05.2017को तहसीलदार अकबरपुर से आख्या प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया तहसीलदार अकबरपुर द्वारा नायब तहसीलदार अकबरपुर से मौके की जॉच कराई गयी जॉच मे यह उल्लिखित किया गया कि नदी अभिलेखों के अनुसार उक्त गाटे से सटी हुई है तथा इनका निर्माण उक्त

गाटे से लगभग 80फिट दूरी पर निर्मित है। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर इनका निर्माण अपने बैनामे की जमीन पर है तथा नदी इनके निर्माण से लगभग 80 फिट की दूरी पर स्थित है। अतः इनके द्वारा अवरोधक का कोई कार्य किया गया है ऐसा अभिलेखों एवं भौतिक रूप से प्रतीत नही होता है।

अतः इनके निर्माण कार्य से नदी का जलप्रवाह अवरूद्ध हो होगा ऐसा प्रतीत नही होता है। भौतिक रूप से नदी विनोद मिश्रा के निर्माण स्थल से लगभग 80 फिट दूरी पर इस समय बह रही हैं।

विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों व अभिलेखों के आधार पर वर्तमान समय में गाटा संख्या 306/2 नदी से सटा हुआ है तथा इसी गाटे मे विनोद मिश्रा द्वारा नदी से दूर वाले सिरे पर बैनामा लेकर निर्माण किया गया है। विनोद मिश्रा का निर्माण नदी से लगभग 80फीट की दूरी पर निर्मित है,मकान निर्माण से नदी का प्रवाह अवरूद्ध नही हो रहां है। ऐसी स्थिति में अब वाद को और आगे चलाये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि इस न्यायालय द्वारा जारी स्शर्त आदेश दिनांक —— 11.06.2012 वापस लिया जाता है। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो ।

उप जिला मजिस्ट्रेट,
अकबरपुर,अम्बेडकरनगर।

उक्त आदेश आज दिनांक 08.01.2018 को हस्ताक्षरित, मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08-01-18
उप जिला मजिस्ट्रेट,
अकबरपुर,अम्बेडकरनगर।

1 - छायाप्रतिलिपि - [illegible]
2 - शब्द लगभग - 1180
3 - पृष्ठ नं० - 12

S D O/S D M(A) 08/2/18

1

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1 अम्बेडकर नगर।

पीठासीन :– श्री सर्वेश कुमार, 'एच.जे.एस.'

फौजदारी निगरानी संख्या:–194/2016

विनोद मिश्र आयु लगभग 45 साल पुत्र नरसिंह नरायन मिश्र निवासी ग्राम–कादीपुर परगना व तहसील–अकबरपुर, स्वामी प्रबन्धक स्वप्निल होटल माँ गायत्री मन्दिर मार्ग अकबरपुर, जिला–अम्बेडकरनगर।

...............निगरानीकर्ता/द्वितीय पक्ष

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।

..........................विपक्षी/प्रथम पक्ष

फौ. निगरानी अन्तर्गत धारा–397/399 द.प्र.सं.
विरूद्ध आदेश दिनांकित 29.05.2014

निर्णय

प्रस्तुत फौजदारी निगरानीकर्ता/द्वितीयपक्ष की ओर से उपजिला मजिस्ट्रेट, अकबरपुर अम्बेडकरनगर द्वारा वाद सं0–46/2012 राज्य –बनाम–विनोद मिश्र अन्तर्गत धारा–133 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक–29.05.2014 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी।

2. संक्षेप में प्रस्तुत निगरानी के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार अकबरपुर की आख्या दिनांकित 10.06.2012 के आधार पर वाद सं0–46/2012 अन्तर्गत धारा–133 दं0प्र0सं0 उपजिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर द्वारा पंजीकृत किया गया। तहसीलदार अकबरपुर ने इस आशय की आख्या उपजिला मजिस्ट्रेट, अकबरपुर के समक्ष प्रस्तुत की, कि कस्बा अकबरपुर एवं शाहजादपुर को जोड़ने के लिए टोंस नदी पर पुल बना हुआ है। अकबरपुर से शाहजादपुर चलने पर पुल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर तथा टोंस नदी से 45 मीटर की दूरी पर 50 फिट लम्बा एवं 30 फिट चौड़ा विपक्षी द्वारा निर्माण किया जा रहा है, उक्त निर्माण हो जाने पर नदी का प्रवाह अत्यन्त संकुचित दायरे में आ जायेगा, जिससे एक दिशा में बाढ़ आ सकती है, और

लगभग 200 से 300 मीटर की लम्बाई में उपजने वाली फसल तथा किनारे बसे गाँव व घर वाढ़ की सीमा में आ सकते है, जिससे जन–धन की हानि होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त आख्या के संदर्भ में अवर न्यायालय द्वारा दिनांक–29.05.2014 को सशर्त आदेश अन्तर्गत धारा–133 दं0प्र0सं0 दिनांकित 11.06.2012 धारा–138 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अन्तिम किया गया, और यह भी आदेश पारित किया गया कि सशर्त आदेश अन्तर्गत धारा–133 दं0प्र0सं0 दिनांकित 11.06.2012 व आदेश की प्रमाणित प्रति प्रभारी निरीक्षक थाना–को0 अकवरपुर को इस आशय से प्रेषित की जावे कि आदेश का अनुपालन विनोद मिश्र (द्वितीय पक्ष) से कराना सुनिश्चित करें, तथा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन धारा–188 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अवज्ञा समझी जायेगी, तथां अवज्ञा होने की दशा में धारा–188 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा। उपरोक्त आदेश दिनांकित 29.05.2014 से क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी।

3. मैंने निगरानीकर्ता/द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम दूबे एडवोकेट एवं राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौ0' श्री रमेश राम त्रिपाठी, एडवोकेट के तर्कों को विस्तार से सुना । निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई लिखित बहस का भी अवलोकन किया।

4. निगरानीकर्ता की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि उसके द्वारा गाटा सं0–306/02 मिन0 रकबा 0.374 हे0 से 0.022 हे0 स्थित ग्राम–शाहजहॉपुर परगना व तहसील अकबरपुर जिला–अम्बेडकरनगर को पंजीकृत बैनामा के आधार पर कय किया गया, और उक्त भूमि का संक्रमणीय भूमिधर है और नामन्तरण हो चुका है। उपजिलामजिस्ट्रेट के आदेश दिनांकित 17.02.2012 से उक्त भूमि अकृषक भूमि के रूप में दर्ज है। यह भी बहस की गयी कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त अकृषक भूमि पर नगर पालिका द्वारा पारित मानचित्र के अनुसार निर्माण करना कहा गया। यह भी बहस की गयी कि कथित निर्माण के बांयी और दांयी तरफ दो मजिला इमारतें बनी

हुई हैं, जिसके सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह भी बहस की गयी है कि सशर्त आदेश दिनांकित 11.06.2012 के विरूद्ध उसने अपनी आपत्ति कागज सं0–8अ दिनांकित 15.09.2012 प्रस्तुत की, किन्तु उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, और अंतिम आदेश दिनांकित 11.06.2012 मनमाने ढंग से विधि विरूद्ध पारित कर दिया गया । ऐसी स्थिति में आदेश दिनांकित 29.05.2014 विधि सम्मत् नहीं है, और अपास्त किये जाने योग्य है।

5. विपक्षी/ राज्य की ओर से यह बहस की गयी कि सशर्त आदेश अन्तर्गत धारा–133(1) दं0प्र0सं0 दिनांकित 11.06.2012 पारित होने के पश्चात् निगरानीकर्ता उपजिलामजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित हुआ, और उसने अपनी आपत्ति दिनांकित 15.09.2012 प्रस्तुत की। किन्तु उसे सुने बिना आक्षेपित आदेश दिनांकित 29.05.2014 पारित किया गया। यह भी बहस की गयी कि निगरानीकर्ता के निर्माण के बांयी और दांयी ओर अन्य लोगों ने भी निर्माण कर रखा है, और उन पर राजस्व अधिकारियों द्वारा कार्यवाही का कोई अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

6. मैने अवर न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया। यह उल्लेखनीय है कि उपजिलामजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक–11.06.2012 को तहसीलदार की आख्या दिनांकित 10.06.2012 के आधार सशर्त आदेश अन्तर्गत धारा–133(1) दं0प्र0सं0 दिनांक–11.06.2012 को पारित किया गया, जो अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है, किन्तु उक्त आदेश का कोई उल्लेख आदेश–पत्र पर नहीं है और न ही आदेश–पत्र पर पूर्व में और पश्चातवर्ती तिथियों पर किसी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त सशर्त आदेश दिनांकित 11.06.2012 के विरूद्ध निगरानीकर्ता ने अपनी आपत्ति कागज सं0–8अ दिनांकित 15.09.2012 अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा निर्माण अकृषक जमीन होने के आधार पर करना कहा गया, तथा नदी की धारा को किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न न होने की बात कही गयी। अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता की

4

उपरोक्त आपत्ति पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया, और न ही उक्त आपत्तियों का कोई उल्लेख आदेश दिनांक–29.05.2014 में किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा सूची कागज सं0–15ब से खसरा कागज सं0–15ब/2 प्रस्तुत की जिसमें विनोद मिश्रा का गाटा सं0–306 पर नाम दर्ज है, तथा खतौनी कागज सं0–15ब/3 में भी गाटा सं0–306 पर नाम दर्ज है, तथा साथ ही साथ नगर पालिका परिषद अकबरपुर द्वारा विनोद मिश्रा पुत्र श्री नरसिंह नरायन मिश्रा निवासी ग्राम–कादीपुर के नाम निर्माण हेतु उपरोक्त भूमि पर नक्शा पास किया गया। ऐसी परिस्थितियों में निगरानीकर्ता की आपत्तियों पर सुने बिना आक्षेपित आदेश अवर न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जो विधि सम्मत् नहीं हैं। न्यायालय की राय में निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु मामले को अवर न्यायालय को प्रति–प्रेषित किया जाना न्यायसंगत है। प्रस्तुत निगरानी तदानुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित दिनांकित 29.05.2014 अपास्त किया जाता है। अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय के आलोक में निगरानीकर्ता (द्वितीय पक्ष) को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नये सिरे से विधि अनुसार आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापस हो। पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक–03.03.2017 को उपस्थित हों।

(सर्वेश कुमार) 25/01/2017
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
अम्बेडकर नगर

दिनांकः–25.01.2017

आज यह निर्णय, मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(सर्वेश कुमार) 25/01/2017
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
अम्बेडकर नगर

दिनांकः–25.01.2017

TRUE COPY
Head Copyist
Civil Court

Annexure-R 4/10

कार्यालय अधिशासी अभियंता
सिंचाई खंड, टांडा
जनपद अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश- 224190

पत्रांक: 736/लघु सिंचाई खंड/अंबेडकर नगर/दिनांक 13/02/2026

विषय: सुरक्षा क्षेत्र संबंधी सूचना

सेवा में,
होटल स्वप्निल
पुरानी तहसील तिराहा
अकबरपुर, अंबेडकर नगर- 224122

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 13/02/2026 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद अंबेडकर नगर के विकास खंड टांडा, उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग के अभिलेखों के अनुसार उक्त भूमि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की श्रेणी में नहीं आती है। यह सुरक्षा क्षेत्र की श्रेणी में आती है।

धन्यवाद।

SA
13/02/26

सादर,

(कमला शकर)
लघु सिंचाई विभाग,
अंबेडकर नगर